



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 13.06.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में अवैध जुआ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना प्रभारी कुलपहाड़ श्री राजेश कुमार द्वारा गठित की गयी 30नि0 सुनील कुमार मिश्रा व मय हमराही गणों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो से रुपयो-पैसो की हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों क्रमशः 1.संजय पुत्र विनोद सक्सेना उम्र करीब 32 वर्ष 2.संदीप प्रजापति पुत्र जानकी प्रजापति उम्र करीब 25 वर्ष 3.गोकुल प्रसाद पुत्र गोविन्ददास उम्र करीब 45 वर्ष को प्राईमरी विद्यालय के पीछे मु0 नयापुरा कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से मय मालफड 2050/- रुपये व 52 अदद ताश पत्ता व जामा तालाशी 380/- रुपये बरामद कर गिरफ्तार किया, अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये थाना हाजा पर मु0अ0सं0 145/2022 धारा 13 जुंआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.30नि0 सुनील कुमार मिश्रा
2. हे0कां0 रविन्द्र यादव 3.कां0 उमाशंकर पटेल 4. कां0 करमवीर 5.कां0 विकास

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. संजय पुत्र विनोद सक्सेना उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मु0 नयापुरा कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
2. संदीप प्रजापति पुत्र जानकी प्रजापति उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मु0 ड्योढ़ीपुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
3. गोकुल प्रसाद पुत्र विन्ददास उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मु0 नयापुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम ने 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चरखारी श्री उमापति मिश्रा द्वारा टीम का गठन किया गया जिसमें उ०नि० अनूप कुमार पाण्डेय द्वारा देखभाल क्षेत्र शांति सुरक्षा व्यवस्था व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान ग्राम सालट उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने से अभियुक्त कृष्णदेव यादव पुत्र लाखन सिंह उम्र 35 वर्ष नि.ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 167/22 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०अनूप कुमार पाण्डेय ०नि० थाना चरखारी जनपद महोबा
2. हे मासूक अली.का.३. का० गौरव बरसैयाँ

गिरफ्तार अभियुक्त-

कृष्णदेव यादव पुत्र लाखन सिंह उम्र 35 वर्ष नि.ग्राम कमालपुरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से कुल 500 ग्राम गांजा बरामद होना





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद किया गया -

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 14.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री उमापति मिश्र द्वारा गठित टीम जिसमें उ०नि० अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह का० गौरव बरसैया ,म०का०कोमल विश्वकर्मा द्वारा मु०अ०सं० 147/2022 धारा 363 भा०द०वि० से सम्बन्धित पीड़िता/अपहृता पुत्री श्यामसुंदर अहिरवार निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को बरामद किया गया है। पीड़िता उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु वन स्टॉप सेंटर में प्रवासित कराया गया है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० अनूप कुमार पाण्डेय थाना चरखारी जनपद महोबा
2. का. गौरव बरसैया थाना चरखारी जनपद महोबा
3. म.का.कोमल विश्वकर्मा थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामद पीड़िता-अपहृता/

काल्पनिक नाम कल्पना थाना चरखारी जनपद महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



सोशल साइट इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक रील बनाकर पोस्ट करने वाले अभियुक्त को थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखते हुये आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर निरन्तर कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में आज दिनांक 14.06.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा सोशल साइट इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक रील बनाकर पोस्ट करने वाले अभियुक्त बाबा लोधी उर्फ अमिका उर्फ अमरेन्द्र सिंह पुत्र चन्दन सिंह राजपूत निवासी पावर हाउस के पास राठ रोड कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा उम्र 25 वर्ष सम्बन्धित मु.अ.सं. 103/2022 धारा 505(2)/504/507 IPC व 67 IT ACT तथा अभियुक्त मु.अ.स 251/2021 धारा 323/504/506/308 भादवि का वारण्टी था जिसको राठ तिगैला सड़क कस्बा पनवाड़ी से गिरफ्तार किया गया वाद आवश्यक कार्यवाही करके गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त –

बाबा लोधी उर्फ अमिका उर्फ अमरेन्द्र सिंह पुत्र चन्दन सिंह राजपूत निवासी पावर हाउस के पास राठ रोड कस्बा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा उम्र 25 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० कम्बोद सिंह थाना पनवाड़ी
2. का० मनीष कुमार 3. कां राजकुमार 4. कां प्रमोद कुमार।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा शान्तिभंग करने वाले 06 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.06.2022 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना पनवाड़ी प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित की गयी व.उ.नि. नरेशचन्द्र निगम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 06 नफर अभि० 1.खेमचन्द्र अहिरवार पुत्र भरोसी अहिरवार उम्र करीब 32 वर्ष ,2. देवेन्द्र अहिरवार पुत्र पंचमलाल उम्र 40 वर्ष नि०गण रोहनियाँपुरा कस्वा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा व 3.भूपेन्द्र अहिरवार पुत्र देवेन्द्र अहिरवार उम्र 23 वर्ष ,4. कौशलेन्द्र कुमार अहिरवार पुत्र कृष्णकुमार उम्र करीब 19 वर्ष नि०गण रोहनियाँपुरा कस्वा व थाना पनवाड़ी जनपद महोबा अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी सम्बन्धित मुसिसिन० 159/2022 व 159ए/2022 व अभियुक्त 1. घासीराम कुशवाहा पुत्र गयादीन कुशवाहा उम्र करीब 40 वर्ष नि० ग्राम लौलारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा ,2. मानसिंह यादव पुत्र ग्यासी उम्र 40 वर्ष नि० ग्राम लौलारा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा सम्बन्धित मुसिसिन० 160/2022 व 160ए/2022 धारा

151/107/116 सीआरपीसी जो आये दिन शांति व्यवस्था भंग करने के आदि है जिन्हे पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. व०उ०नि० नरेशचन्द्र निगम थाना पनवाड़ी जिला महोबा
2. का० सुनील कुमार थाना पनवाड़ी जिला महोबा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का हुआ आयोजन-

आज दिनांक 14.06.2022 को पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में बाल किशोर पुलिस इकाई कार्यशाला का आयोजन क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें समस्त थानों के बालकल्याण अधि०/किशोर न्याय बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया, कार्यशाला में बालसंरक्षण, पाक्सो एक्ट, जे०जे० एक्ट, ह्यूमन ट्रेफिकिंग इत्यादि विषयों के सम्बन्ध में वार्ता कर जानकारी दी गई, बैठक के दौरान पाक्सो एक्ट व महिला सम्बन्धी अपराधों में की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया।

तत्पश्चात क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय ने बालश्रम, जुबेनाइल एक्ट, पाक्सो एक्ट, गुमशुदगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल-विवाह, बाल तस्करी आदि के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि थानों पर उक्त घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए तलाश गस्ती व अन्य प्रचार-प्रसार कराए, गुमशुदा बालक/बालिकाओं की बरामदगी होने पर नियमानुसार सादे वस्त्रों में बालकल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, पाक्सो एक्ट के मामलों में नाबालिग से बातचीत के दौरान सादे वस्त्रों में ही रहे, महिला सम्बन्धी अपराधों में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही पीड़िता से पूछताछ की जाए, बालश्रम व बाल-भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाकर उनको मुक्त कराया जाए।

इस कार्यशाला में प्रभारी महिला थाना शिल्पी शुक्ला सहित, समस्त थानों के बालकल्याण अधि०, किशोर न्याय बोर्ड, संयुक्त निदेशक अभियोजन, श्रमविभाग, चाइल्डलाइन, बालकल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, ए०एच०टी०यू०/एच०जे०पी०यू०, व अन्य विभागों के अधि०/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर 87 ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 14.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गस्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

